न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

प्रा.प. :- 93 / 2015 : u/s -212 RTA

पुष्पा देवी पत्नी उगरा राम जाति जाट सा. नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर ..... प्रार्थिया

--॥ बनाम ॥--

1. जेठा राम पुत्र भगवाना राम जाति जाट सा. नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. उगरा राम गोदपुत्र मूला राम जाति जाट -------//----------
3. उपपंजीयक, नोखा
4. स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा ..... अप्रार्थीगण

उपस्थित :-- श्री पुरखा राम महिया अधिवक्ता : प्रार्थिया
श्री लक्ष्मीनारायण सियाग अधिवक्ता : अप्रार्थी सं. 1
श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता : अप्रार्थी सं. 2

दिनांक :- 06.12.2019

--:: आदेश ::--

1. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र अनुसार नोखा गांव के खसरा सं. 40, 43, 139 तादादी क्रमशः 3.40, 5.37, 0.05 ; कुल = 8.82 हेक्टेयर भूमि प्रार्थिया के ससुर मूलाराम पुत्र भगवानाराम एवं अप्रार्थी सं. 1 जेठाराम पुत्र भगवानाराम के नाम ½ - ½ ब-हिस्सा बराबर खातेदारी कृषि भूमि रही है । प्रार्थिया के पति उगराराम (अप्रार्थी सं. 2) को मूलाराम ने बचपन से ही गोद ले लिया था तथा उसकी शादी करने के बाद प्रार्थिया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मूलाराम ने अपनी तमाम चल -अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 05.05.2011 को प्रार्थिया के पक्ष में कर दी थी । दिनांक 04.01.2013 को प्रार्थिया के ससुर का देहांत हो जाने के बाद से उपर वर्णित भूमि का ½ हिस्सा कृषि भूमि की वसीयत के आधार पर घोषणा करवाने की हकदार है किंतु अप्रार्थी सं. 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत नोखा गांव से मूलाराम पुत्र भगवानाराम की सारी भूमि जरिये विरास्तन नामांतरकरण 537 दिनांक 17.01.2013 को अपने नाम दर्ज करवा ली जो *एब-इनिशियो* वॉयड व प्रार्थिया के अधिकारों पर बेअसर है । अप्रार्थी सं. 1 , प्रार्थिया को बेदखल कर कब्जा करने की नीयत रखता है जिसको प्रार्थिया के ½ निहित हिस्से में दखलन्दाजी नहीं किया जाकर अन्य प्रकार विक्रय, तर्क व कब्जे से रोका जाये तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

2. अप्रार्थी सं. 1 जेठाराम ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया का ससुर मूलाराम न होकर जेठाराम है, तथा उसने ही उगराराम व प्रार्थिया की शादी करवाई । मूलाराम ने यदि उगराराम को गोद लिया होता तो प्रार्थिया के पक्ष में वसीयत किस मजबूरी में करवाई इसका कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण यह वसीयत संदेहास्पद है । मूलाराम के लाऔलाद फौत होने से उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उसका सगा भाई जेठाराम ही एकमात्र सही उत्तराधिकारी है । ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण सं. 537 सही दर्ज किया गया है । मूलाराम व जेठाराम संयुक्त रूप से भूमि काश्त करते थे तथा कभी अस्वस्थ होने की वजह से चिकित्सक को दिखाने के लिये अपने साथ लाये मूलाराम को उगराराम ने कपट से वसीयत यदि करवा ली तो उसे कोई हक हासिल नहीं होता। मूलाराम का उगराराम का दत्तक पुत्र रखने सम्बन्धी कोई प्रमाण नहीं है । प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है ।

3. अप्रार्थी सं. 2 उगराराम ने कमोबेश प्रार्थिया के कथनों के अनुसार ही अपने जवाब को पेश किया । विशेष कथनों में बताया कि अप्रार्थी सं. 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा । अप्रार्थी सं. 2 , मूलाराम की मौत के बाद से उसके खोलायत पुत्र की हैसियत से प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त करता आ रहा है । अप्रार्थी सं. 1 ने पहले तो जरिये नामांतरकरण सं. 550 (पुरानी जिल्द) से अपने नाम ½ हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

वादगत भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा ली व नामांतरकरण सं. 537(नई जिल्द) से बगैर उसे सुने समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो नल & वॉयड कार्यवाहियाँ है । अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 2 के कब्जे में दखलन्दाजी से रोकते हुए तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

4. हमने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं. 1 & 2 के जवाब का अध्ययन किया । विज्ञ अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

5. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रश्नगत भूमि की ½ हिस्से की अधिकारी, मुताबिक वसीयत वह स्वयं है । हमनें मूलाराम द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में निष्पादित की गयी नोटेरी से तस्दीक वसीयत दिनांक 05.05.2011 का अवलोकन किया । वसीयत में किसी खसरा विशेष का उल्लेख नहीं किया हुआ है तथा नोटेरी पब्लिक श्री के.सी. चितलंगी द्वारा वसीयत के पेज 1 के पृष्ठांकन में वसीयतकर्ता की आयु 74 वर्ष दर्ज करी है जबकि वसीयत के निष्पादन के समय पेज सं. 1 व 2 पर उसकी आयु 68 वर्ष लिखी हुई है । वसीयत में गवाह के रूप में लालूराम व पेम सिंह के हस्ताक्षर है, प्रार्थिया के पति उगराराम द्वारा न तो स्टाम्प क्रय किये हुए हैं व ना ही उसके बतौर गवाह कहीं पर हस्ताक्षर किये हुए हैं । प्रार्थिया द्वारा न तो तहसीलदार के समक्ष अपने नाम निष्पादित वसीयत को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की चराजोही की है व ना ही राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है । इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 उगराराम, जो प्रार्थिया का पति है, के द्वारा कोई गोदनामा सम्बन्धी प्रमाणिक दस्तावेज भी पेश नहीं किया है । अप्रार्थी सं. 1 जो अप्रार्थी सं. 2 का वास्तविक पिता है, द्वारा गोद दिये जाने का खण्डन भी किया गया है । **अतः प्रथम दृष्ट्या** प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 2 का मामला नहीं बनता है ।

6. **सुविधा का संतुलन** अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अधिक है क्योंकि वह राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरकरण सं. 550 (पुराना) द्वारा वर्ष 1992 से ही आया हुआ है, जिसे कालांतर में जीवित रहते हुए मूलाराम ने या किसी अन्य व्यक्ति ने सक्षम स्तर पर वास्ते खारिजी चुनौती नहीं दी है । अप्रार्थी सं 2 के पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं दर्शित होता है । जबकि प्रार्थिया जब तक वसीयत को अपने पक्ष में रिकॉर्ड में दर्ज कराने की चराजोही नहीं करती, उसके पक्ष में भी सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 की तुलना में कमजोर है ।

7. यदि मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं रखी जाये तो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इस न्यायालय का विचार है । प्रार्थिया के पक्ष में जब तक वसीयत का सक्षम स्तर से निपटारा नहीं हो जाता तब तक आंशिक रूप से नुकसान की आशंका हो सकती है यद्यपि वसीयतकर्ता की मृत्यु सन 2013 में हो चुकी है किंतु मूल वाद व प्रार्थना पत्र सन 2015 में लाया गया है जिससे यह इंगित होता है कि प्रार्थिया अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं रही है ना ही सक्षम न्यायालय से वसीयत को प्रोबेट कराने या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत तहसीलदार के समक्ष चाराजोही करने के प्रयास किये हैं । किंतु नामांतरकरण चुंकि फिस्कल प्रोसीडिंग है, इसे किसी का टाईटल या अधिकारों का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है । अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा वर्ष 1992 से ही सिद्ध है अतः उसके खातेदारी अधिकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाना न्यायोचित नहीं है । फलतः प्रार्थिया के पक्ष में **अपूर्णीय क्षति** कारित होना दर्शित नहीं होता है ।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है ।

23/01/20

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:23:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: